कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री गिरधारी लाल गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूण्डली, बस्सी ज़िला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानकी चैनपुरा जिला बाडमेर में एवं श्री ईश्वर मल दुलारिया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दन्ता जिला कोटा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूण्डली, बस्सी जिला जयपुर में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री गिरधारी लाल गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2904/2019 गिरधारी लाल गुप्ता बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2904/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी श्री गिरधारी लाल गुप्ता के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्री गिरधारी लाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूण्डली, बस्सी जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, श्री ईश्वर मल दुलारिया, का अन्तरिम समायोजन **दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्‌देश्य से** राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुराड (KURAD), मालपुरा जिला टोंक में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। **उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/गिरधारी लाल/2904/2019 दिनांकः 25.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/जयपुर, संभाग, जयपुर/अजमेर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)